राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2011–12 जयपुर, दिनांक : 19 AUG 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत मेट के नियोजन बाबत संशोधित निर्देश।**

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि नियोजित परिवारों को पूरी मजदूरी मिलें।

राज्य सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से यह स्पष्ट स्थिति सामने आई है कि श्रमिकों के द्वारा किए जा रहे कार्य का सही पर्यवेक्षण किया गया हो तो उनको पूर्ण मजदूरी प्राप्त हुई है। कार्य स्थल पर उचित पर्यवेक्षण के अभाव में अनियमितताएं होने की भी अधिक सम्भावनाऐं रहती है। अतः निर्माण कार्यस्थल पर सही पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये मेट को लगाया जाता है।

निर्माण कार्यों के संचालन में मेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों के प्रपत्र–6 में कार्य की मांग करने वाले सदस्यों को व्यवस्थित रूप से कार्य पर लगाने के लिये मस्टररोल का संधारण 5–5 श्रमिकों का समूह बनाना, 5 श्रमिकों के समूह को निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य का आवंटन तथा उनके द्वारा किये गये दैनिक कार्य का माप कर उन्हें सूचित करने का उत्तरदायित्व मेट का ही है। मेट द्वारा कार्य निष्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री का रिकार्ड रखना भी है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर बोर्ड, छाया, पानी, झूलें, आया, दवाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है।

इसलिये पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों के अतिक्रमण में नरेगा के अन्तर्गत मेट हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. मेट का चयन :–

मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में चार मेट जिसमें दो महिला एवं दो पुरूष हों, का पैनल विज्ञापन जारी कर ग्राम पंचायतवार प्रार्थना–पत्र कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कर बनाया जावे। पूर्व में नियोजित व प्रशिक्षित मेटों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी, अगर उनके खिलाफ कोई

शिकायत नही रही है। प्राप्त आवेदन पत्रों का ग्राम पंचायतवार छंटनी कर ग्राम पंचायतवार मेरिट के आधार पर वरियता अनुसार मेटों का पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 16 मेट का पैनल जिसमें कम से कम 8 महिलाएं हो तैयार किया जावे।

प्राप्त आवेदन पत्रों में से अंतिम पैनल प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होगें, द्वारा किया जावेगा। यथासम्भव मेट उसी गांव का हो, यह ध्यान में रखा जावे। मेट के चयन में यह ध्यान रखा जावे कि पंचायतीराज संस्था के निर्वाचित जनप्रतिनिधि से इसका प्रत्यक्ष संबन्ध ना हो।

2. योग्यता :–

मेट की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी –

1. पुरूष मेट न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. महिला मेट भी सामान्यतया दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण महिला नहीं मिलने की दशा में आठवीं उत्तीर्ण प्रार्थियों को लिया जावे। यदि आठवीं उत्तीर्ण भी नही मिले तो ऐसी परिस्थिति में पांचवी उत्तीर्ण को भी लिया जा सकता है।
3. गांव में उपयुक्त संख्या में अभ्यार्थी नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव के अभ्यर्थी को पैनल में रखा जा सकेगा।
4. उसी परिवार का सदस्य हो जो नरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत है।

3. प्राथमिकता :–

मेट के चयन में निम्न प्राथमिकता होगी –

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्य।
2. विधवा परित्यकता अथवा एकल महिला, विकलांग।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य।
4. पिछडा वर्ग के सदस्य।
5. सामान्य वर्ग

उक्त सभी श्रेणियों में उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जावें। यदि इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं हो तो अन्य श्रेणी से रखकर 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण किया जावे।

4. मेट का नियोजन :–

4.1 कार्यों की निगरानी के लिये निम्न परिमाप के अनुसार मेट का नियोजन किया जावेगा।

क्र.सं.	श्रमिक संख्या	मेट संख्या
(i)	10 से 40	एक
(ii)	40 से अधिक	प्रति 10 से 40 पर एक अतिरिक्त

4.2 प्रत्येक कार्य पर ग्राम पंचायतवार तैयार किये गये पैनल में से ही मेट का नियोजन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टररोल जारी करते समय ही किया जावेगा। नियोजित मेट के विरूद्व शिकायतें प्राप्त होने या कार्य असंतोषजनक होने के कारण कार्यक्रम अधिकारी बिना किसी नोटिस के मेट को हटा सकेगें तथा उसका पदस्थापन अगले एक वर्ष के लिये नहीं किया जावेगा।

4.3 पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जायेगा। महिला मेटों के संबन्ध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिवस से अधिक भी नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा संभव नियोजित नही किया जावे।

4.4 दस से कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट अलग से नियुक्त नहीं किया जावेगा। ऐसे कार्यों की निगरानी का कार्य कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

4.5 मेट के नियोजन में महिला प्रार्थी को प्राथमिकता देते हुए नियोजित किया जावे तथा नियोजित महिला मेट को आगामी पखवाडे में पैनल में स्थित दूसरी महिला मेट से ही यथा संभव परिवर्तित किया जावे।

5. प्रशिक्षण :–

चयनित मेटों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा। वे सुनिश्चित करेगें कि किसी भी अप्रशिक्षित मेट का नियोजन नही हो। चयनित मेटों को ब्लाक स्तर पर सघन प्रशिक्षण दिया जावे। मेटों का क्षमतावर्द्वन हेतु प्रत्येक तिमाही विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावे।

मेट के कर्तव्य, जिम्मेदारियां, कार्यस्थल पर व्यवस्था एवं कार्य की माप पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार रहेगीं।

भवदीय

3/8/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास। / स्टेट मिशन डाइरेक्टर आजीविका
4. आयुक्त, ईजीएस।
5. मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण श्री ....।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर / बाडमेर।
8. कार्यक्रम अधिकारी समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस